न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 02/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सोहनलाल पुत्र मिसरूराम जाति नायक निवासी गुड़ा बींजा तहसील सोजत जिला पाली राज0।		01. केसाराम पुत्र भोलाराम जाति नायक निवासी गुड़ा बींजा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 02. तेजसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुत निवासी गुड़ा बिंजा तह0 सोजत जिला पाली राज0। 03. छगीया पुत्र बालिया 04. नाथु पुत्र बालिया 05. लाला पुत्र बालिया 06. भैरा पुत्र चंदा 07. श्रवण पुत्र पाबुड़ा 08. मृतक मदन पुत्र पाबुड़ा के वारिस— 8/1 प्रकाश पुत्र मदनलाल 8/2 गोविन्द पुत्र मदनलाल 09. मृतक मोहनलाल पुत्र पाबुड़ा के वारिस— 9/1 देवाराम पुत्र मोहनलाल 9/2 चम्पालाल पुत्र मोहनलाल जातिगण 10. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 भू0 राजस्व अधिनियम भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

—: **निर्णय** :— दिनांक : 15/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गुड़ा बिंजा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नबर 274 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की स्थित है। उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि के उत्तरी तरफ रास्ता तथा तीनो तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई स्थित हैं। प्रार्थी ग्राम गुड़ा बींजा का मूलनिवासी है। लेकिन मजदूरी हेतु कोटा में निवास करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में काश्त हेतु आता जाता रहता हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की माठ को तोड़ते हुए प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में आकर धोरा लगा दिया तथा कुछ हिस्सा पर निर्माण कार्य भी किया गया है। अप्रार्थीगण के द्वारा अवैध तरीके से प्रार्थी की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, प्रार्थी ने उक्त भूमि की पेमाईश करवाने हेतु अप्रार्थीगण से निवेदन किया लेकिन

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अप्रार्थीगण ने मौके पर वाद विवाद किया। प्रार्थी ने दिनांक 03/11/2022 को पैमाईश हेतु आवेदन पेश किया था, तब दिनांक 04/11/2022 को मौके पर विवाद की स्थिति होने से पटवारी हल्का द्वारा मौके पर विवाद होना जाहिर किया तथा पत्थर गढ्ढी के जरिये सीमांकन करवाने की बात कही। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि का पत्थर गढ्ढी के जरिये कमेठी गठित कर सीमांकन करवाया जाना कानून्न आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा गुड़ा बिंजा के खसरा नबंर 274 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल का सीमाज्ञान, पत्थरगढी किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिल बार–बार आवाजे लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रार्थना पत्र सरहद मौजा गुड़ा बिंजा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नबर 274 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल स्थित हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि व अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के बीच स्थित माठ व सीमाओं तथा धोरा पाली को लेकर हमेशा मौके पर भारी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं तथा मौके पर माठो एवं सीमाओं को लेकर आपसी मनमुटाव व विवाद भी होते रहते हैं। जिससे प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र सीमांकन कर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिये मुटाम लगाये जाने हेतु आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर गौर कर मनन किया गया। फहरिस्त के साथ प्रस्तुत मौका फर्द की छाया प्रति अनुसार मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा गुड़ा बिंजा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नबर 274 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि सरहद मौजा गुड़ा बिंजा तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नबर 274 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)